संख्या-197/2019/3837/26-3-2019

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर 2019

विषय: उ0प्र0 राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-124/2019/2005/26-3-2019 दिनांक 21.05.2019 एवं पत्र सं0-166/ 2019/2737/26-3-2019 दिनांक 27.06.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रदेश व प्रदेश से बाहर की सेवाओं हेतु अंग्रेजी प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के बावजूद प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में सुगमतापूर्वक जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं।

3- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ''1984(6) एस0सी0सी0 241, कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल'' में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 1994 को पारित निर्णय में Castes and sub-castes, tribe, tribal community, parts or groups of tribes or tribal communities, के आधार पर अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को (The place from which he originally hails) उसके मूल निवास से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल उपरान्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिये गये है तथा उसके क्रम में रिट याचिका संख्या-2884(एम0बी0) आफ 1995-डा0 आनन्द प्रताप सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 को पारित आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते हुए शासनादेश सं0-22/16/92-का-2/1996-टी0सी0-।।। दिनांक 5 जनवरी 1996 एवं यथासंशोधित शासनादेश सं0-292 सी0एम0/26-3-2017 दिनांक 08.11.2017 निर्गत किए गए हैं, जिसमें अभ्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण व जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये है:-

(1) अभ्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र उस क्षेत्र के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत/अन्तरित किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित अभ्यार्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा यदि वयस्क हो, अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा, यदि वह अवयस्क हो, प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ राजपत्रित अधिकारी/स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र के साथ अभ्यार्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय-समुदाय, या जनजातीय-समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यार्थी के मूल निवास आदि से सम्बन्धित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेगें।

(2) उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय, समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जाति (अनुसूचित जाति, अथवा अनुसूचित जनजाति) का जाति प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी के मूल निवास स्थान से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल कर सत्यापन उपरान्त, उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर अंग्रेजी भाषा में उक्त प्रक्रियानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-197/2019/3837(1)/26-3-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2-अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग,उ0प्र0 लखनऊ।
3-निदेशक, समाज कल्याण विभाग/जनजाति विकास, उ0प्र0।
4-निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
5-निदेशक, उ0प्र0 पंचायतराज विभाग, उ0प्र0।
6-निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।